न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : देवयानी, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 526/2016
GCMS No.- : 2016/00494

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. मगनबाई पुत्र बलवन्त भाई परमार कौम हिन्दू चमार निवासी– सांखरी तहसील– पाटन जिला– पाटन(गजुरात) जरिये मुख्यतारधारक जरिये भरतभाई मेहता पुत्र श्री अनन्तराय मेहता निवासी– हाल निम्बोल तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राजस्थान)		1. सुरेश पुत्र शिवलाल 2. पांचुड़ी पुत्री शिवलाल 3. शारदा पुत्री शिवलाल 4. नाथी पुत्री भबूतराम जातियान– भांबी, निवासीगण– डूंगरनगर, तहसील– जैतारण। 5. जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम जाति– मेघवाल निवासी– डिगरना तहसील– जैतारण 6. शंकरलाल पुत्र घेवरराम निवासी– पिपलियां खुर्द तहसील– जैतारण, जिला– पाली। 7. भागूराम पुत्र मंगलाराम मेघवाल निवासी– डिगरना तहसील– जैतारण, जिला– पाली। 8. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राजस्थान)

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 23/09/2016

उपस्थितः.
1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री किशोर कुमार बिरोल, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।
3. श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री समीर खान, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 20/10/2022

वकील मय वादी ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व मौजा गांव डूंगरनगर पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण, जिला– पाली (राजस्थान) में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 207 रकबा 06–16 बीघा, खसरा नम्बर 207/1 रकबा 2–6 बीघा, खसरा नम्बर 207/2 रकबा 2–5 बीघा, कुल खसरा 3 कुल रकबा 11–07 बीघा की भूमि आई हुई है जिसमें वादी का खसरा नम्बर 207 में रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा 04 बिस्वासी की भूमि आई हुई है, जो कुल भूमि का 1/5वां हिस्सा की है। जिसमें काबिज [illegible] वादी है। वादी ने उक्त भूमि मौके पर पूर्ववर्ती खातेदारों से जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र विलेख के खरीद की है व कब्जा भी प्राप्त किया है। तदुपरान्त इस भूमि की देखरेख के लिए श्री भरतभाई मेहता को अपना मुख्तियारधारक नियुक्त किया हुआ है। इस प्रकार से वादी की खरीदसुदा उक्त भूमि मौके से अलग बंटी हुई है एवं प्रतिवादीगण की भूमि मौके पर अलग से है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2023.01.08 10:18:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : देवयानी, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 526/2016
GCMS No.- : 2016/00494

–: वादी :–

1. मगनबाई पुत्र बलवन्त भाई परमार कौम हिन्दू चमार निवासी– सांखरी तहसील– पाटन जिला– पाटन(गजुरात) जरिये मुख्यतारधारक जरिये भरतभाई मेहता पुत्र श्री अनन्तराय मेहता निवासी– हाल निम्बोल तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राजस्थान)

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. सुरेश पुत्र शिवलाल
2. पांचुड़ी पुत्री शिवलाल
3. शारदा पुत्री शिवलाल
4. नाथी पुत्री भबूतराम जातियान– भांबी, निवासीगण– डूंगरनगर, तहसील– जैतारण।
5. जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम जाति– मेघवाल निवासी– डिगरना तहसील– जैतारण
6. शंकरलाल पुत्र घेवरराम निवासी– पिपलियां खुर्द तहसील– जैतारण, जिला– पाली।
7. भागूराम पुत्र मंगलाराम मेघवाल निवासी– डिगरना तहसील– जैतारण, जिला– पाली।
8. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राजस्थान)

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 23/09/2016

उपस्थितः.
1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री किशोर कुमार बिरोल, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।
3. श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री समीर खान, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

दिनॉकः– 20/10/2022

–:: निर्णय ::–

वकील मय वादी ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व मौजा गांव डूंगरनगर पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण, जिला– पाली (राजस्थान) में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 207 रकबा 06–16 बीघा, खसरा नम्बर 207/1 रकबा 2–6 बीघा, खसरा नम्बर 207/2 रकबा 2–5 बीघा, कुल खसरा 3 कुल रकबा 11–07 बीघा की भूमि आई हुई है जिसमें वादी का खसरा नम्बर 207 में रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा 04 बिस्वांसी की ... ई हुई है, जो कुल भूमि का 1/5वां हिस्सा की है। जिसमें काबिज ... वादी है। वादी ने उक्त भूमि मौके पर पूर्ववर्ती खातेदारों से जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के खरीद की है व कब्जा भी प्राप्त किया है। तदुपरान्त इस भूमि की देखरेख के लिए श्री भरतभाई मेहता को अपना मुख्तियारधारक नियुक्त किया हुआ है। इस प्रकार से वादी की खरीदसुदा उक्त भूमि मौके से अलग बंटी हुई है एवं प्रतिवादीगण की भूमि मौके पर अलग से है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2023.01.08 10:18:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

सम्पूर्ण भूमि आपसी सहमति से मौके पर अलग अलग बंटी हुई है। जिसकी नकल चालू जमाबंदी इस भूमि की वादपत्र के साथ पेश है। इस वादपत्र में वर्णित उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की भूमि को आगे वादपत्र में विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। विवादित भूमि में वादी से पूर्ववर्ती खातेदारों से उनके हक हिस्से की खातेदारी भूमि अपनी जायज जरूरत हेतु बेचान करना तय कर जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के विक्रेताओं ने बेचान करते हुये प्रतिफल की राशि भी प्राप्त कर ली थी एवं इस भूमि का मौके पर कब्जा भी क्रेतागण ने विक्रेता से प्राप्त कर लिया था जिसका माफिक कब्जे अनुसार नजरी नक्शा इस वादपत्र के साथ पेश किया जा रहा है, जिसमें वादी के हक हिस्से की भूमि को मार्क ए.बी.सी.डी से दर्शाया जा रहा है एवं नकल पंजीबद्ध बेधाननामा की प्रति इस वादपत्र के साथ पेश है। भूमि के खातेदारों द्वारा भूमि क्रेताओं को बेचान कर मौके पर कब्जा सौंप दिया था, तत्पश्चात उक्त भूमि को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के वादी ने खरीद कर लिया व प्रतिफल की राशि भी अदा कर दी एवं भूमि का कब्जा भी मौके पर खरीददार को सौंप दिया था। इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि का वादी काबिज खातेदार है। माफिक मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा इस वादपत्र के साथ पेश है। शेष भूमि प्रतिवादीगण की है इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में भी वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से दर्ज है। नकल चालू जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मौके पर आपसी सहमति से वर्षों पूर्व से नजरी नक्शे में वर्णित अनुसार यानि पूर्ववर्ती खातेदारों के समय से ही अलग अलग भागों में बंटी हुई थी व इसी माफिक वादी ने वक्त खरीद के कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। परन्तु इस वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा होकर इन्द्राज नही हुआ है। लेकिन वादी ने मौके पर इस भूमि के विक्रेताओं से जमीन खरीद की थी। उसके पहले से ही पूर्ववर्ती खातेदारों के समय से ही उक्त विवादित भूमि अलग अलग बंटी हुई थी। तब वादी ने मौके पर विक्रेताओं के कब्जे अनुसार ही प्रतिफल की राशि देकर के जमीन खरीद की व मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। अब वादी मौके पर औधौगिक प्रयोजनार्थ काम में लेना चाह रहे है, लेकिन उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के बीच राजस्व रेकर्ड में संयुक्त व शामलाति दर्ज होने की वजह से वादी को अपनी भूमि की किस्म बदलवाने में भारी परेशानी हो रही है। वादी ने प्रतिवादीगण से भी आराजी का बंटवाड़ा कराने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण मौके पर कब्जा व मौका स्थिति अनुसार बंटवाड़ा कराने से टालमटोल कर रहे है तथा दिनांक 20.07.2016 को प्रतिवादीगण ने इस आराजी का बंटवाड़ा कराने से भी स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। जबकि वादी अपने हक हिस्से की आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने का कानूनी रूप से अधिकारी है। तब इस अवस्था में वादी के पास यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का पेश करने के अलावा अन्य [illegible] विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का विरुद्ध प्रतिवादीगण [illegible] है। विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की केवल राजस्व रेकर्ड में संयुक्त शामलाति है लेकिन मौके पर बंटवाड़ा हो रखा है परन्तु प्रतिवादीगण झगडाल प्रवृ[illegible] के है। जो वादी की माठों को तोड़कर वादी के कब्जे की भूमि पर नाप चौप को लेकर आये दिन विवाद कर रहे है व वादी के कब्जे में प्रतिवादीगण जबरदस्ती बाधा व अड़चन पैदा कर रहे है। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2023.01.08 10:18:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible] जिला-पाली

द्वारा समझाने पर भी नहीं मान रहे है। तब ऐसी परिस्थितियों में यदि प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती लाठी लकड़ियों के बल पर वादी को बेदखल कर इस भुमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो वादी अपनी खरीदसुदा, कब्जासुदा व हकसुदा भूमि का उपयोग उपभोग करने से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगें तथा वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। वादी प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगें। जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। इस भूमि के सह हिस्सेदार शंकरलाल व भागूराम भी पूर्व में इस भूमि के सह हिस्सेदार थे इन्होने अपना राजस्व खाता तो अलग करवा लिया लेकिन नक्शा ट्रेश में भूमि अभी तक शामलाति दर्ज है यानि राजस्व नक्शे में प्रतिवादीगण शंकरलाल व भागूराम की अलग से भूमि तरमीम नहीं होने की वजह से इन्हें भी वाद पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 08 तहसीलदार जी जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। जो बंटवाड़ा के वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है जिनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व 02 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं परन्तु वादपत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना है। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र श्रीमान के समक्ष अनुमति लेकर पेश किया जा रहा है। अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 20.07.2016 को प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट इन्कार करने पर व शामलाति भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी देने पर बमुकाम डूंगरनगर तहसील जैतारण जिला- पाली में उत्पन्न हुआ है। जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 01 से 04, 06 व 08 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 05 व 07 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 05 व 07 को जवाब दावा प्रस्तुत करनें अनेकानेक अवसर देने के बावजूद जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करनें से जवाब दावा बन्द किया जाता है। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादपत्र में खसरा नम्बर 207, 207/1, 207/2 की आराजी का बंटवाड़ा करनें का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमें खसरा नम्बर 207/1 एवं 207/2 के वर्तमान खाते में एक ही खातेदार का नाम इन्द्राज है अतः दोनों खसरान् के बंटवाड़े की आवश्यकता नहीं है तथा साथ ही खसरा नम्बर 207 के खाते में खसरा नम्बर 206 भी है अनुतोष वादी ने वादपत्र में नहीं चाहा है जबकि बंटवाड़ा खसरे का होता है की खसरे का, अतः खसरा नम्बर 207 के साथ के खसरा नम्बर 206 को जोड़ा जाकर दोनों का बन्टवाड़ा किया जावें। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थनापत्र से सहमति प्रकट की है एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। चुंकि खसरा नम्बर 207/1 एवं 207/2 की आराजी में एक ही खातेदार है अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2023.01.08 10:18:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

उक्त खसरान् का बंटवाड़ा किया जाना संभव नहीं है। अतः इन्हें बंटवाड़े से पृथक किया जाता है, साथ ही खसरा संख्या 207 व 206 एक ही खाता संख्या 81 के खसरे है तथा कानूनन खाता का बंटवाड़ा होता है न की एकल खसरे का अतः प्रार्थनापत्र सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। ग्राम डूंगरनगर के खाता नम्बर 81 के खसरा संख्या 207 व 206 की आराजी का बंटवाड़ा प्रस्तावित किया जावे। वादपत्र पर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष ने मुताबिक भू अभिलेख बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन हेतु सहमति जाहिर की एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी राजस्व मौजा गांव डूंगरनगर पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण, जिला- पाली (राजस्थान) की सम्वत् 2072-2075 का अवलोकन किया गया, खसरा नम्बर 206 रकबा 16-00 बीघा, व खसरा नम्बर 207 रकबा 06-16 बीघा, जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 05 के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा डुंगरनगर, पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण, में स्थित खसरा नम्बर 206 रकबा 16-00 बीघा, व खसरा नम्बर 207 रकबा 06-16 बीघा, भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/761 दिनांक 29.07.2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/5837 दिनांक 15/09/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस अधिवक्ता उभपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2023.01.08 10:18:14 IST
Reason: SelfAttested

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा गांव डूंगरनगर पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण, जिला- पाली (राजस्थान) में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

भूमि खसरा नम्बर 206 रकबा 16-00 बीघा, व खसरा नम्बर 207 रकबा 06-16 बीघा, भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	मगनभाई पुत्र बलवन्त भाई जाति चमार साकिन संखारी तहसील पाटन गुजरात खातेदार	206	1.1586	बा. दो.	0.36
		207	0.4925	बा. दो.	0.16
		02	1.6511		0.52
2.	जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल साकिन डिगरना खातेदार	206/5	0.7157	बा. दो.	0.22
		207/5	0.3041	बा. दो.	0.09
		02	1.0198		0.31
3.	सुरेश पुत्र शिवलाल हिस्सा 1/3 शारदा पुत्री शिवलाल हिस्सा 1/3 पांचुड़ी पुत्री शिवलाल हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार	206/4	0.7157	बा. दो.	0.22
		207/4	0.3041	बा. दो.	0.09
		02	1.0198		0.31

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 20/10/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2023.01.08 10:18:14 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

बईजलास :– देवयानी, आर0ए0एस0

–:: वादी :–

1. मगनबाई पुत्र बलवन्त भाई परमार कौम हिन्दू चमार निवासी– सांखरी तहसील– पाटन जिला– पाटन(गजुरात) जरिये मुख्यतारधारक जरिये भरतभाई मेहता पुत्र श्री अनन्तराय मेहता निवासी– हाल निम्बोल तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राजस्थान)

बनाम

–:: प्रतिवादीगण :–

1. सुरेश पुत्र शिवलाल
2. पांचुड़ी पुत्री शिवलाल
3. शारदा पुत्री शिवलाल
4. नाथी पुत्री भबूतराम जातियान– भांबी, निवासीगण– डूंगरनगर, तहसील– जैतारण।
5. जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम जाति– मेघवाल निवासी– डिगरना तहसील– जैतारण
6. शंकरलाल पुत्र घेवरराम निवासी– पिपलियां खुर्द तहसील– जैतारण, जिला– पाली।
7. भागूराम पुत्र मंगलाराम मेघवाल निवासी– डिगरना तहसील– जैतारण, जिला– पाली।
8. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राजस्थान)

मु0न0 :रा0वा0 स0: 526/2016

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री किशोर कुमार बिरोल, श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा गांव डूंगरनगर पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण, जिला– पाली (राजस्थान) में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 206 रकबा 16–00 बीघा, व खसरा नम्बर 207 रकबा 06–16 बीघा, भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	मगनभाई पुत्र बलवन्त भाई जाति चमार साकिन संखारी तहसील पाटन गुजरात खातेदार	206	1.1586	बा. दो.	0.36
		207	0.4925	बा. दो.	0.16
		02	1.6511		0.52
2.	जयप्रकाश पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल साकिन डिगरना खातेदार	206/5	0.7157	बा. दो.	0.22
		207/5	0.3041	बा. दो.	0.09
		02	1.0198		0.31
3.	सुरेश पुत्र शिवलाल हिस्सा 1/3 शिवलाल हिस्सा 1/3 पांचुड़ी पुत्री शिवलाल हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार	206/4	0.7157	बा. दो.	0.22
		207/4	0.3041	बा. दो.	0.09
		02	1.0198		0.31

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2023.01.08 10:18:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20/10/2022 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	06–00	स्टाम्प वकालतनामा	01–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	10–00	मिजानः–	01–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2023.01.08 10:18:14 IST
Reason: SelfAttested